शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 30 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 20 – 27 जुलाई 2026 मूल्य पांच रूपये

सत्ता झुकी जनदबाव जीता छात्र आंदोलन ने बदल दी राजनीति की दिशा

शिमला/शैल। लोकतंत्र में सरकारें अक्सर यह दावा करती हैं कि उनकी प्राथमिकता संवाद है, लेकिन बीते कुछ दिनों की घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संवाद केवल तब शुरू होता है, जब जनाक्रोश सरकार के लिए राजनीतिक संकट बनने लगे? सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होना निश्चित रूप से राहत की खबर है, लेकिन उससे कहीं बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार को बातचीत की मेज तक आने में इतना समय क्यों लगा? यदि अंत में बातचीत ही समाधान थी, तो शुरुआत में लाठीचार्ज, हिरासत, बल प्रयोग और टकराव की राजनीति की आवश्यकता क्या थी?

सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह के हाथों जूस पीकर अपना अनशन समाप्त किया। लेकिन यह केवल अनशन का अंत नहीं था, बल्कि सरकार के लिए एक राजनीतिक संदेश भी था। उन्होंने साफ कहा कि आंदोलन में शामिल छात्रों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, पेपर लीक मामले पर संसद में व्यापक चर्चा होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कारवाई होनी चाहिए। सरकार ने इन मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया। यह वही सरकार है, जो कुछ दिन पहले तक आंदोलन को कानून – व्यवस्था का मुद्दा मान रही थी।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल सरकार की रणनीति पर उठता है। पहले सोनम वांगचुक को जंतर – मंतर से पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद छात्रों ने संसद घेराव का ऐलान किया। 20 जुलाई को जब हजारों छात्र संसद की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। अनेक छात्र घायल हुए। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो ने पूरे देश का ध्यान इस आंदोलन की ओर खींच लिया। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। धीरे – धीरे यह आंदोलन केवल दिल्ली का नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय छात्र आंदोलन का स्वरूप लेने लगा।

यहीं सरकार की राजनीतिक रणनीति बदलती दिखाई दी। जिस आंदोलन को पहले प्रशासनिक कारवाई से नियंत्रित करने की कोशिश की गई, उसी आंदोलन को बाद में बातचीत के जरिए शांत करने का प्रयास किया गया। सांसद विवेक तन्खा को मध्यस्थ की भूमिका में आगे किया गया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष, वामपंथी सांसद जॉन ब्रिटास और अन्य नेताओं ने भी सोनम वांगचुक से मुलाकात कर अनशन समाप्त करने की अपील की। लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल और लेह के नेताओं ने भी बातचीत की। अंततः सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद स्थापित हुआ।

यहीं सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न खड़ा होता है। यदि सरकार को अंततः आंदोलनकारियों की बात सुननी ही थी, तो क्या लाठीचार्ज आवश्यक था? क्या छात्रों पर बल प्रयोग के बाद शुरू हुई बातचीत यह स्वीकार नहीं करती कि प्रारंभिक रणनीति विफल रही? लोकतंत्र में विरोध को दबाने का प्रयास अक्सर सरकारों के लिए अधिक महंगा साबित होता है। इस मामले में भी वही हुआ। पुलिस कारवाई के बाद आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि देशव्यापी बन गया।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक और सच्चाई उजागर की है। आज का युवा केवल रोजगार नहीं चाहता, बल्कि व्यवस्था पर विश्वास भी चाहता है। पेपर लीक जैसे मामलों ने लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगाया है। वर्षों की तैयारी के बाद यदि परीक्षा रद्द होती है या भर्ती प्रक्रिया संदेह के घेरे में आती है, तो स्वाभाविक रूप से आक्रोश पैदा होगा। सरकार यदि इसे केवल कानून – व्यवस्था का विषय मानेगी, तो वह समस्या की जड़ को समझने में असफल रहेगी।

दिलचस्प बात यह है कि पूरे विवाद के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले माता – पिता जो कहते थे, उसे बिना तर्क स्वीकार कर लिया जाता था, लेकिन आज के युवाओं के साथ संवाद आवश्यक है। यह बयान ऐसे समय आया, जब छात्र आंदोलन देशव्यापी चर्चा का विषय बन चुका था। राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह बयान केवल सामाजिक टिप्पणी नहीं, बल्कि सत्ता प्रतिष्ठान के लिए भी एक संदेश माना जा रहा है कि बदलते भारत में संवाद के बिना शासन संभव नहीं है।

यह भी पहली बार नहीं है कि किसी बड़े जनदबाव के बाद सरकार को अपने रुख में बदलाव करना पड़ा हो। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे आंदोलन हुए, जहां प्रारंभिक सख्ती के बाद अंततः बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ा। इससे यह धारणा मजबूत होती है कि सरकारें अक्सर विरोध को पहले चुनौती के रूप में देखती हैं और बाद में उसे लोकतांत्रिक अधिकार मानने लगती हैं। यह प्रवृत्ति किसी भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं मानी जा सकती।

हालांकि, इस पूरे प्रकरण में विपक्ष की भूमिका भी सवालों से परे नहीं है। विपक्ष ने आंदोलन का समर्थन तो किया, लेकिन वह इसे राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस राजनीतिक दिशा देने में सफल नहीं दिखा। कई विपक्षी दलों के नेता आंदोलन के अंतिम चरण में सक्रिय हुए, जबकि छात्रों की नाराजगी पहले से बढ़ रही थी। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आज के युवा पारंपरिक राजनीतिक दलों से अधिक अपने मुद्दों के आधार पर संगठित हो रहे हैं।

अब सरकार ने आश्वासन दिया है कि छात्रों की मांगों पर विचार होगा, दोषियों के खिलाफ कारवाई होगी और संसद में चर्चा भी की जाएगी। लेकिन राजनीति में केवल आश्वासन काफी नहीं होता। जनता परिणाम देखती है। यदि पेपर लीक के मामलों में निष्पक्ष जांच नहीं हुई, यदि दोषियों को सजा नहीं मिली और यदि भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार नहीं हुआ, तो यह आंदोलन भले अभी शांत हो जाए, लेकिन युवाओं का असंतोष समाप्त नहीं होगा।

यह आंदोलन एक और संदेश देता है कि सोशल मीडिया के दौर में सरकारें सूचना को नियंत्रित नहीं कर सकतीं। जंतर – मंतर से लेकर संसद मार्ग तक की हर तस्वीर, हर वीडियो और हर घटना कुछ ही मिनटों में देशभर में पहुंच गई। यही कारण है कि स्थानीय स्तर का आंदोलन राष्ट्रीय विमर्श बन गया। आज राजनीतिक शक्ति केवल संसद में नहीं, बल्कि जनता की डिजिटल चेतना में भी निहित है।

अंततः यह केवल सोनम वांगचुक के अनशन की कहानी नहीं है। यह उस बदलते भारत की कहानी है, जहां युवा सवाल पूछ रहा है, जवाब मांग रहा है और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सजग है। सरकारों के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक बल पुलिस की लाठी में नहीं, बल्कि जनता के विश्वास में होता है। जिस दिन सरकारें विरोध को दुश्मनी नहीं, लोकतांत्रिक संवाद का अवसर मान लेंगी, उसी दिन ऐसे टकरावों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है, लेकिन उन्होंने सत्ता के सामने जो सवाल रखे हैं, उनका जवाब अभी बाकी है। सरकार के लिए अब असली परीक्षा अनशन तुड़वाने की नहीं, बल्कि अपने वादों को निभाने की है। लोकतंत्र में आंदोलन समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जनता की स्मृति और जवाबदेही कभी समाप्त नहीं होती।

राज्यपाल ने किया अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले का शुभारंभ सांस्कृतिक विरासत और नशामुक्त हिमाचल का दिया संदेश

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले

का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सदियों पुराना यह मेला हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने का आहवान किया।

चौगान मैदान में आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मिंजर जैसे मेले न केवल लोक संस्कृति को जीवित रखते हैं, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे की भावना को भी मजबूत करते हैं। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते नशे के खतरे पर चिंता जताते हुए लोगों से नशामुक्त हिमाचल के निर्माण के लिए जनजागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने इस दिशा में चंबा पुलिस के प्रयासों की भी सराहना की।

राज्यपाल ने चंबा की प्रसिद्ध पारंपरिक हस्तकलाओं चंबा रूमाल, चंबा चप्पल और चंबा थाल का उल्लेख करते हुए स्थानीय शिल्पकारों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये कलाएं जिले की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान हैं और इन्हें संरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है।

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने चंबा के शहीद आशीष थापा, खेम राज और ओम प्रकाश को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों और वीरता पुरस्कार प्राप्त सैन्य कर्मियों के परिजनों को सम्मानित करते हुए उपस्थित लोगों को देश के वीर जवानों के बलिदान और आदर्शों को सदैव स्मरण रखने की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने मिंजर ध्वज फहराकर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर अजीत भट्ट और उनकी मंडली ने पारंपरिक कुंजड़ी-मल्हार की प्रस्तुति दी, जो पिछले 32 वर्षों से इस सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन कर रही है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, विधायक नीरज नैयर, डी. एस. ठाकुर सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

51 शक्तिपीठ भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि देश के 51 शक्तिपीठ केवल धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपरा और राष्ट्रीय एकता के मजबूत प्रतीक हैं। उन्होंने शक्तिपीठों के इतिहास और परंपराओं का वैज्ञानिक अध्ययन, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और दुनिया भर में उनका प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया।

राज्यपाल जम्मू के कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में आयोजित चार दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शक्तिमीमांसा के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस संगोष्ठी का विषय श्51 शक्तिपीठ भारतीय विरासत के आध्यात्मिक स्तंभ रखा गया है। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री महाराजा रणबीर सिंह परिसर, जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने संयुक्त रूप से किया है।

राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में शक्ति केवल पूजा का विषय नहीं है, बल्कि सृजन, ज्ञान, साहस, करुणा और राष्ट्र निर्माण की ऊर्जा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शक्तिपीठ सदियों से देश की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते आए हैं। ये केवल मंदिर नहीं हैं, बल्कि भारतीय कला, स्थापत्य, साहित्य, संगीत और लोक संस्कृति के भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी विरासत को केवल ऐतिहासिक इमारतों को बचाकर सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इससे जुड़ी परंपराओं, ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों को भी संरक्षित करना जरूरी है। इसके लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए शक्तिपीठों का डिजिटल दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारतीय ज्ञान परंपरा, योग, आयुर्वेद और अध्यात्म की ओर आकर्षित हो रही है। ऐसे समय में भारतीय शक्ति परंपरा दुनिया को नारी सम्मान, प्रकृति संरक्षण, आध्यात्मिक संतुलन और मानव कल्याण का संदेश देती है।

उन्होंने युवाओं और शोधार्थियों से संस्कृत साहित्य, शक्ति परंपरा, तंत्र दर्शन और भारतीय ज्ञान प्रणाली पर गहन शोध करने का आ}वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल कर नए अवसर उपलब्ध कराए हैं।

राज्यपाल ने विश्वास जताया कि इस संगोष्ठी में होने वाला विचार-विमर्श और शोध कार्य भारतीय शक्ति परंपरा के संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक पहचान को नई दिशा देगा। साथ ही उन्होंने आयोजन से जुड़े सभी संस्थानों, विद्वानों और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं।

हिमाचल सरकार ने आम, सिट्रस फलों और सी-ग्रेड सेब के लिए एमएसपी मंजूर, किसानों को मिलेगा उचित दाम

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए प्रोसेसिंग ग्रेड आम, सिट्रस फलों और सी-ग्रेड सेब की खरीद के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) लागू करने को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य फल उत्पादकों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराना है। फलों की खरीद हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) के माध्यम से की जाएगी। जरूरत पड़ने पर सी-ग्रेड सेब की खरीद में हिमफेड का भी सहयोग लिया जाएगा।

बागवानी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत प्रोसेसिंग ग्रेड सीडलिंग, ग्राफ्टेड और कच्चे अचारी किस्म के आम की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक होगी। प्रदेश में आम खरीद के लिए 42 संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं। आम की ढुलाई 20 किलोग्राम क्षमता वाले रिसाइक्लेबल प्लास्टिक क्रेट में की जाएगी, जबकि किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी उपयुक्त पैकिंग में फल ला सकेंगे।

उन्होंने बताया कि किन्नू, माल्टा और संतरा की खरीद भी 12 रुपये प्रति किलोग्राम, जबकि गलगल की खरीद 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 21 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक होगी। किन्नू, माल्टा और संतरा के लिए 15 किलोग्राम क्षमता वाले प्लास्टिक क्रेट तथा गलगल के लिए 40 किलोग्राम के जूट बैग का उपयोग किया जाएगा।

प्रवक्ता के अनुसार, योजना के तहत अधिकतम 1.50 लाख मीट्रिक टन सी-ग्रेड सेब की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 अगस्त से 31 अक्तूबर 2026 तक की जाएगी। सेब की खरीद 35 किलोग्राम के जूट बैग में होगी, जबकि ढुलाई के लिए 16 किलोग्राम क्षमता वाले रिसाइक्लेबल प्लास्टिक क्रेट को प्राथमिकता दी जाएगी। केवल 51 मिलीमीटर या उससे अधिक आकार तथा निर्धारित गुणवत्ता मानकों वाले सेब ही खरीदे जाएंगे। सड़े-गले, पक्षियों द्वारा क्षतिग्रस्त, रोगग्रस्त, कीटग्रस्त, सिकुड़े हुए या एथेफोन से उपचारित सेब इस योजना के तहत स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

योजना का लाभ केवल एचपीएमसी के एमआईएस पोर्टल पर पंजीकृत किसान ही उठा सकेंगे। किसानों को खरीद केंद्र पर निर्धारित गुणवत्ता वाले फल लाने होंगे। योजना के नियमों के अनुसार खरीद के समय वाष्पीकरण और अन्य वजन की कमी की भरपाई के लिए कुल वजन का 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त फल भी देना होगा।

बागवानी विभाग ने सभी पात्र फल उत्पादकों से समय पर पंजीकरण कराने और योजना का लाभ उठाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी बागवानी कार्यालय या अधिसूचित खरीद केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ने पर जोरः राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कविंद्र गुप्ता ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार दिलाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में चरित्र, नैतिक मूल्य और सेवा भावना विकसित करना भी होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ने पर बल दिया।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 57वें स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों और एनएएसी के 'ए' ग्रेड की सराहना की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, उभरती तकनीकों और भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को और मजबूत करना चाहिए।

राज्यपाल ने शिक्षकों से एक-एक गांव गोद लेकर शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास में योगदान देने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के एक हाथ में आधुनिक तकनीक और दूसरे हाथ में भारतीय संस्कार होने चाहिए।

समारोह में राज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय को डीआरडीओ की दो शोध परियोजनाओं के लिए 82 लाख और 87 लाख रुपये की मंजूरी मिली है। साथ ही छात्रों के लिए नए कौशल आधारित और अंतरविषयक पाठयक्रम भी शुरू किए गए हैं।

टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने की हिमाचल की प्रगति की सराहना

शिमला/शैल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोकभवन में टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 की समीक्षा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले टीबी मुक्त राज्य बनने की दिशा में अच्छी प्रगति कर रहा है। उन्होंने इस अभियान को जनआंदोलन बनाने और लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024 में टीबी के 15,455 मामले सामने आए थे, जो 2025 में घटकर 14,636 रह गए हैं।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि अभियान के तहत प्रदेश के 5,147 उच्च जोखिम वाले गांवों की पहचान की गई है। इनमें से 2,547 गांवों में आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जा चुके हैं, जहां लगभग 1.85 लाख लोगों की एआई आधारित हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनों से जांच की गई है।

बैठक में यह भी बताया गया कि 2025 में 1,052 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 26 एआई-सक्षम हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनें और 119 आधुनिक एनएएटी मशीनें टीबी की त्वरित जांच के लिए उपलब्ध हैं।

राज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि आयुष्मान आरोग्य शिविरों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाई जाए और लोगों को समय पर टीबी जांच के लिए अधिक जागरूक किया जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से हिमाचल जल्द ही टीबी मुक्त राज्य बनने का लक्ष्य हासिल करेगा।

मुख्यमंत्री ने शुरू की हाइबिस्कस योजना, जैव विविधता संरक्षण के लिए 2 करोड़ रुपये जारी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री

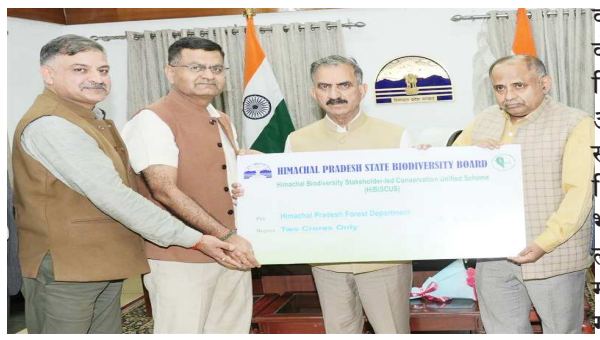

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल बायोडायवर्सिटी स्टेकहोल्डर-लेड कंजर्वेशन यूनिफाइड योजना (हाइबिस्कस) का शुभारंभ किया। योजना के राज्यभर में क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने वन विभाग को 2 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना स्थानीय लोगों की भागीदारी से जैव विविधता के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर भी पैदा होंगे।

उन्होंने बताया कि इस योजना से करीब दो लाख किसान और 10 हजार सामुदायिक समूह लाभान्वित होंगे। योजना के तहत औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना को प्रभावी बनाने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड, औद्योगिक साझेदारों और किसानों की भागीदारी से लागत-साझेदारी मॉडल अपनाया गया है। वहीं, कार्यों की निगरानी जियो-टैग फोटो, मैदानी निरीक्षण और ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी, ताकि पारदर्शिता और समय पर काम सुनिश्चित हो सके।

यह योजना राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के ढांचे पर आधारित है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान को जोड़कर जैव विविधता आधारित विकास मॉडल तैयार करना है। इसके तहत जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मजबूत किया जाएगा, औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा मिलेगा और प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।

योजना के अंतर्गत वन भूमि, सामुदायिक भूमि, निजी भूमि और कृषि भूमि पर पौधारोपण, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, नर्सरी विकास, किसानों का प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने जैसी गतिविधियां भी चलाई जाएंगी।

विदेशों में रोजगार के लिए युवाओं को सिखाई जाएंगी विदेशी भाषाएं, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार युवाओं को विदेशों में बेहतर रोजगार दिलाने के लिए विदेशी भाषा के पाठयक्रम शुरू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को इस दिशा में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से विदेशी भाषा के नए पाठयक्रम शुरू किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन पाठयक्रमों का उद्देश्य युवाओं को भाषा कौशल देकर विदेशों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) के माध्यम से कुशल युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए एचपीएसईडीसी भर्ती एजेंसी का लाइसेंस भी प्राप्त कर चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में काम कर रहे हिमाचली युवाओं की सुरक्षा और जरूरत के समय सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए विदेश में रह रहे युवाओं से संपर्क बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करना आसान होगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विदेशों में रोजगार के नए अवसर भी तलाशे जाएं, ताकि युवाओं को बेहतर वेतन मिले और उनका किसी भी तरह से शोषण न हो।

बैठक में मुख्यमंत्री ने श्रम एवं रोजगार विभाग को निर्देश दिए कि विभाग की सभी प्रमुख योजनाओं का विवरण प्रभावी निगरानी के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाए। इसके अलावा जनजातीय विकास विभाग को भी वनाधिकार अधिनियम (एफआरए) से जुड़े सभी मामलों की जानकारी मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

नशे के खिलाफ खेलो हिमाचल – चिट्टा मुक्त अभियान शुरू करेगी सरकार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने खेलो हिमाचल – चिट्टा मुक्त अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखना और चिट्टा के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के तहत प्रदेश की 3,758 ग्राम पंचायतों, 8 नगर निगमों, 29 नगर परिषदों और 39 नगर पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। वहीं, नशे से सबसे अधिक प्रभावित 235 ग्राम पंचायतों में विशेष अभियान चलाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि उप-मंडल, जिला और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनके आयोजन के लिए 11.56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और विजेता टीमों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता, रोकथाम और पुनर्वास पर भी काम कर रही है। उन्होंने सभी विभागों, खेल संगठनों, शिक्षण संस्थानों और समाज से इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की।

शिक्षक दिवस से पहले नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर होगा फैसला:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्राथमिक शिक्षकों को भरोसा दिलाया है कि शिक्षक दिवस से पहले नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली को लेकर राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस व्यवस्था की सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर इसमें संशोधन या इसे पूरी तरह वापस लेने पर भी विचार किया जाएगा।

शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित प्राथमिक शिक्षक संघ की आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और शिक्षक संघ के बीच होने वाली अगली बैठक में इस मुद्दे पर निष्पक्ष और सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से सुन रही है और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ की गई निलंबन की कारवाई, विभागीय जांच और दर्ज एफआईआर वापस ली जाएंगी। इसके अलावा मुख्य अध्यापक, केंद्र मुख्य अध्यापक और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्राथमिक विद्यालयों में खेल गतिविधियां फिर से शुरू की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि जेबीटी शिक्षकों को टीजीटी पदों पर पदोन्नति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ की विभिन्न मांगों पर शनिवार को सचिवालय में प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई है और सरकार इन मांगों के समाधान के लिए सकारात्मक रुख अपनाए हुए है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार कर रही है। प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू की जा चुकी है और सीबीएसई पैटर्न वाले स्कूलों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति लगभग पूरी हो चुकी है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि शिक्षकों के सहयोग से हिमाचल के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ स्कूल बनाया जाएगा।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने ओपीएस का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में आते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने का निर्णय लिया। उनके अनुसार यह फैसला कर्मचारियों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया, क्योंकि नई पेंशन योजना के तहत कई कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिल रही थी।

मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार प्रदेश के वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही, जिसके कारण राजस्व घाटा अनुदान बंद होने और लगभग 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियों का बोझ वर्तमान सरकार को उठाना पड़ा। उन्होंने प्रदेश के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए सभी से एकजुट होकर काम करने की अपील की।

एचपी राज्य सहकारी बैंक की बैंकिंग सेवाएं हुई और आधुनिक, मुख्यमंत्री ने दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के सभी कोर बैंकिंग कार्यो को अत्याधुनिक फिनाकल 10.2.25 सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने पर बैंक प्रबंधन, अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई प्रणाली से ग्राहकों को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के छह जिलों में बैंक की 262 शाखाओं के माध्यम से लोगों को बेहतर डिजिटल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा कि नए सॉफ्टवेयर के लागू होने से लेनदेन पहले से अधिक तेज होगा, साइबर सुरक्षा मजबूत होगी और ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग का बेहतर अनुभव मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से बैंक की आधुनिक सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और सहकारी व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग देने की अपील की।

सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को एक माह का अंतिम मौका, जल्द करवाएं ई – केवाईसी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों से एक माह के भीतर अपना ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन करवाने की अपील की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तय समय के बाद ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का आधार आधारित ई-केवाईसी सत्यापन अभियान जुलाई 2025 में शुरू किया था। यह प्रक्रिया जिला कल्याण अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी के माध्यम से चलाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तय की गई थी। अब तक राज्य के 7,84,976 पेंशन लाभार्थियों का आधार आधारित ई-केवाईसी पूरा किया जा चुका है।

विभाग ने कहा है कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वे एक माह के भीतर अपने संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके बाद ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद हो सकती है।

प्रवक्ता ने बताया कि जिन असहाय पेंशनभोगियों का आधार कार्ड नहीं बना है या उसमें किसी प्रकार का सुधार या अपडेट कराना है, वे अपने जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी जिला या तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने तकनीकी शिक्षा विभाग के तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया। यह राज्य का पहला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों, शिक्षण संस्थानों और उद्योगों को एक ही मंच पर जोड़कर रोजगार प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल छात्रों और उद्योगों के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करेगा।

इस पोर्टल पर छात्र अपनी प्रोफाइल, शैक्षणिक योग्यता, कौशल, प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र अपलोड कर सकेंगे। साथ ही वे नौकरी की जानकारी, ऑनलाइन आवेदन और अपने प्लेसमेंट की स्थिति भी देख सकेंगे। वहीं, कंपनियां और नियोक्ता भी पोर्टल पर पंजीकरण कर रिक्त पदों की जानकारी साझा कर सकेंगे तथा योग्य उम्मीदवारों का चयन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक इस पोर्टल पर 164 तकनीकी संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 136 आईटीआई, 18 पॉलिटेक्निक, 5 इंजीनियरिंग और 5 फार्मेसी कॉलेज शामिल हैं। इसके अलावा 26,168 छात्रों का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें से 23,054 छात्रों की कौशल मैपिंग पूरी की जा चुकी है। वहीं 97 नियोक्ता भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं।

उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर जैसे कुशल श्रमिक भी अपना पंजीकरण कर सकेंगे और उन्हें अल्पकालिक रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह पोर्टल युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने, उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल मानव संसाधन तैयार करने और हिमाचल के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

निडरता आध्यात्मिकता की पहली आवश्यकता है। कायर कभी नैतिक नहीं हो सकते।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद उठते सवाल

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिनों तक चला छात्र आंदोलन आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद समाप्त हो गया। सरकार ने वह फैसला लिया जिसकी मांग आंदोलनकारी पहले दिन से कर रहे थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिनका जवाब केवल एक मंत्री का इस्तीफा नहीं दे सकता।

सबसे पहला सवाल यही है कि यदि सरकार को अंततः इस्तीफा ही लेना था, तो इतना लंबा इंतजार क्यों किया गया? क्या सरकार को लगा कि आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा? क्या सरकार छात्रों के गुस्से को समझ नहीं पाई? या फिर सरकार वास्तव में दबाव में आने के बाद ही इस फैसले तक पहुंची? इन सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकतंत्र में केवल निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण होता है कि वह निर्णय कब और किन परिस्थितियों में लिया गया।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुराना ब्यान भी चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'भाजपा शासनकाल में इस्तीफे नहीं हुआ करते।' यही कारण है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी बन गया है। विपक्ष इसे सरकार की मजबूरी बता रहा है, जबकि सरकार इसे जवाबदेही का उदाहरण बता रही है। लेकिन राजनीति से अलग होकर देखें तो असली प्रश्न यह है कि क्या किसी मंत्री का इस्तीफा ही आंदोलन का स्थायी समाधान होता है?

हालांकि आंदोलन समाप्त होने के बाद जिस मुद्दे को उछाला जा रहा है, वह है प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों द्वारा इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिनमें गाली-गलौज और आपत्तिजनक शब्द सुनाई देते हैं। निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में ऐसी भाषा का समर्थन नहीं किया जा सकता। विरोध का अधिकार लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन भाषा की मर्यादा भी उतनी ही आवश्यक है। लेकिन क्या केवल छात्रों को कटघरे में खड़ा कर देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? यह भी सोचना होगा कि आज का युवा आखिर ऐसी भाषा सीख कहां से रहा है। पिछले एक दशक में ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज और फिल्मों में जिस तरह की भाषा सामान्य बना दी गई है, उसने समाज के व्यवहार को प्रभावित किया है। गालियां अब संवाद का हिस्सा बन गई हैं। हिंसा, अश्लीलता और अपशब्दों को 'रियलिस्टिक कंटेंट' कहकर परोसा जा रहा है। करोड़ों रुपये के कारोबार वाले इस मनोरंजन उद्योग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लगभग हर सीमा को चुनौती दी जा रही है। यह कहना सही होगा कि संस्कार परिवार से मिलते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि समाज, स्कूल, सोशल मीडिया और मनोरंजन उद्योग भी युवाओं की सोच और भाषा गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि कोई किशोर प्रतिदिन ऐसी वेब सीरीज देख रहा है जहां गालियां सामान्य बातचीत का हिस्सा हों, तो उसका असर उसके व्यवहार पर पड़ेगा ही। ऐसे में केवल माता-पिता को जिम्मेदार ठहरा देना उचित नहीं होगा। यहां सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सवाल यह नहीं है कि सेंसरशिप कितनी होनी चाहिए, बल्कि यह है कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरी तरह नियमों से मुक्त रह सकते हैं? यदि सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित सामग्री के लिए प्रभावी नियमन क्यों नहीं होना चाहिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व है।

आज सोशल मीडिया पर संयमित भाषा से ज्यादा लोकप्रिय वह व्यक्ति बनता है जो सबसे अधिक आक्रामक हो। तर्क से ज्यादा ट्रेंड मायने रखता है। तथ्य से ज्यादा वायरल वीडियो प्रभाव डालता है। ऐसे माहौल में युवा भी उसी भाषा और उसी शैली को अपनाने लगता है जिसे वह रोज देखता और सुनता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इस आंदोलन में केवल छात्रों का गुस्सा नहीं दिखा, बल्कि पिछले कई वर्षों से समाज में तैयार हो रही मानसिकता भी दिखाई दी।

इस मानसिकता को और खतरनाक बनाने का काम जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर फैलाई जा रही नफरत ने किया है। राजनीति के लिए समाज को छोटे-छोटे वर्गों में बांटने की प्रवृत्ति नई नहीं है, लेकिन अब यह विभाजन केवल चुनावी मंचों तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया के माध्यम से यह लोगों की सोच का हिस्सा बनता जा रहा है। हर मुद्दे को जाति, धर्म या विचारधारा के चश्मे से देखने की आदत लोकतंत्र को कमजोर करती है। जब समाज लगातार विभाजित होगा, तब किसी भी छोटे मुद्दे के बड़े टकराव में बदलने की संभावना बढ़ जाएगी।

लोकतंत्र में आंदोलन होना गलत नहीं है। असहमति लोकतंत्र की शक्ति है। लेकिन यदि असहमति संवाद के बजाये टकराव में बदल जाए, यदि विरोध व्यक्तिगत घृणा में बदल जाए और यदि हर समस्या का समाधान केवल सड़क और दबाव की राजनीति में खोजा जाने लगे, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। सरकारों को भी यह समझना होगा कि जनता का विश्वास केवल बहुमत से नहीं चलता। समय पर संवाद, पारदर्शिता और संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है। यदि समस्याओं को शुरुआत में ही गंभीरता से लिया जाए, तो कई आंदोलन पैदा होने से पहले ही समाप्त हो सकते हैं। दूसरी ओर समाज को भी यह तय करना होगा कि वह अपने युवाओं को कैसी सोच और कैसी भाषा देना चाहता है।

आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती वह सामाजिक वातावरण है जिसमें आक्रोश तेजी से पैदा होता है और संवाद धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। यदि राजनीति केवल ध्रुवीकरण करेगी, मीडिया केवल सनसनी दिखाएगा, सोशल मीडिया केवल नफरत फैलाएगा और मनोरंजन उद्योग केवल हिंसक व टकरावपूर्ण सोच को सामान्य बनाएगा, तो आने वाले वर्षों में ऐसे आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक राजनीतिक संकट का तत्काल समाधान हो सकता है, लेकिन यह देश के सामाजिक और वैचारिक संकट का समाधान नहीं है। अभी भी समय है कि सरकार, विपक्ष, मीडिया, शिक्षण संस्थान और समाज मिलकर संवाद, संयम और जिम्मेदारी की संस्कृति को मजबूत करें। यदि आज भी हमने इस चेतावनी को नहीं समझा, तो भविष्य में केवल सरकारें ही नहीं, पूरा समाज इसकी कीमत चुकाएगा। तब शायद किसी एक मंत्री का इस्तीफा भी हालात संभालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए, लेकिन उनकी भाषा भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप होनी चाहिए। उसी तरह सरकार को भी यह समझना होगा कि समय पर लिए गए निर्णय कई बार लंबे टकराव और सामाजिक विभाजन को रोक सकते हैं। लोकतंत्र की असली जीत तभी होगी जब सरकार, समाज, मीडिया और युवा-चारों अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें।

राष्ट्रीय सम्मान और समावेशी भारत का लोकतांत्रिक आदर्श

योग्यता का सम्मान, पहचान से परे राष्ट्र निर्माण की संस्कृति

गौतम चौधरी

किसी भी राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केवल अलंकरण नहीं होते, वे उस समाज के नैतिक मानदंडों, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सार्वजनिक उद्घोष भी होते हैं। भारत में पद्म पुरस्कार और अन्य राष्ट्रीय सम्मान इसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उन व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान, श्रम, सृजन, सेवा और समर्पण से समाज को समृद्ध किया है। इन सम्मानों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि किसी नागरिक की पहचान नहीं, बल्कि उसका योगदान ही उसके सम्मान का आधार होना चाहिए।

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता है। यह विविधता केवल भाषाओं, धर्मों और संस्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रतिभाओं, अनुभवों और जीवन-संघर्षों की भी है। ऐसे समाज में राष्ट्रीय सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का उत्सव नहीं होते, बल्कि उस साझा राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति भी होते हैं, जो यह स्वीकार करती है कि राष्ट्र निर्माण किसी एक वर्ग, क्षेत्र या समुदाय का नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है।

हाल के वर्षों में घोषित पद्म पुरस्कारों की सूची इस व्यापक भारतीयता का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है। इनमें शिक्षाविद, वैज्ञानिक, लोक कलाकार, शिल्पकार, चिकित्सक, समाजसेवी और उद्यमी सभी को समान सम्मान मिला है। इन्हीं सम्मानित व्यक्तित्वों में अनेक मुस्लिम नागरिक भी शामिल हैं, जिनकी उपलब्धियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि भारतीय लोकतंत्र उत्कृष्टता और जनसेवा को धार्मिक या सामाजिक पहचान के बजाय योगदान के आधार पर स्वीकार करता है।

प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर शफी शौक को शिक्षा, शोध तथा भाषाई एवं सांस्कृतिक अध्ययन में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसी प्रकार गफरुद्दीन मेवाती जोगी ने लोककला की परंपराओं को जीवित रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, मीर हाजी कसम ने लोक संगीत की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ियों तक पहुँचाया और नूरुद्दीन अहमद ने मूर्तिकला के माध्यम से भारतीय कलात्मक परंपरा को सशक्त किया। इन सभी की उपलब्धियाँ किसी एक समुदाय की नहीं, बल्कि भारत की साझा सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं।

राष्ट्रीय सम्मानों का वास्तविक महत्व यहीं निहित है। वे यह स्वीकार करते हैं कि राष्ट्र की प्रगति केवल उद्योग, विज्ञान या राजनीति से नहीं होती। एक शिक्षक भविष्य का नागरिक तैयार करता है, एक कलाकार समाज की सांस्कृतिक स्मृति को संरक्षित रखता है, एक वैज्ञानिक नई संभावनाओं का द्वार खोलता है, एक कारीगर परंपराओं को जीवित रखता है और एक समाजसेवी उन लोगों तक विकास की रोशनी पहुँचाता है जो अक्सर मुख्यधारा से दूर रह जाते हैं। राष्ट्र इन सभी भूमिकाओं को समान गरिमा के साथ स्वीकार करता है।

भारतीय लोकतंत्र की यही विशेषता उसे विशिष्ट बनाती है। यहाँ सम्मान का आधार जन्म नहीं, कर्म है, पहचान नहीं, उपलब्धि है। पुरस्कार प्राप्त करने वालों की अधिकांश जीवन यात्राएँ बताती हैं कि असाधारण सफलता का मार्ग विशेषाधिकार से नहीं, बल्कि संघर्ष, अनुशासन और निरंतर परिश्रम से होकर गुजरता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय सम्मान समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। वे यह विश्वास जगाते हैं कि भारत के किसी भी गाँव, कस्बे या शहर से निकला नागरिक अपने कार्य के बल पर राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर सकता है।

भारतीय मुस्लिम समुदाय का योगदान भी इसी व्यापक राष्ट्रीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक शिक्षा, विज्ञान, रक्षा, साहित्य, संगीत, खेल, चिकित्सा और लोक प्रशासन जैसे अनेक क्षेत्रों में मुस्लिम नागरिकों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम इसका सबसे प्रेरक उदाहरण हैं। एक वैज्ञानिक, शिक्षक और दूरदर्शी राष्ट्रनायक के रूप में उन्होंने यह सिद्ध किया कि ज्ञान और कर्म ही किसी नागरिक की सबसे बड़ी पहचान हैं। इसी प्रकार संगीतकार ए.आर. रहमान ने भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर नई प्रतिष्ठा दिलाई। आज भी अनेक मुस्लिम चिकित्सक, वैज्ञानिक, शिक्षक, कलाकार, उद्यमी और प्रशासक भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार हैं।

इन सम्मानों का एक और महत्त्वपूर्ण पक्ष युवाओं के लिए उनका प्रेरक संदेश है। भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में है। करोड़ों विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मान उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि उत्ष्टता, अनुशासन और जनसेवा का मार्ग अंततः समाज और राष्ट्र दोनों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यही भावना स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी पहलों के मूल उद्देश्य से भी मेल खाती है, जिनका लक्ष्य प्रत्येक नागरिक की क्षमता को विकसित कर उसे राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाना है।

इन सम्मानों को किसी भी संकीर्ण पहचान-आधारित विमर्श तक सीमित कर देना उनके व्यापक उद्देश्य के साथ न्याय नहीं होगा। जब कोई शिक्षक सम्मानित होता है, तो उसका ज्ञान किसी धर्म विशेष के विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहता। जब कोई कलाकार सम्मानित होता है, तो उसकी कला सम्पूर्ण समाज की सांस्कृतिक पूँजी बनती है। जब कोई वैज्ञानिक सम्मानित होता है, तो उसके शोध का लाभ पूरे राष्ट्र को मिलता है। इसलिए राष्ट्रीय सम्मान किसी समुदाय का उत्सव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रतिभा का उत्सव हैं।

भारत आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। यह लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि से प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए ज्ञान, नवाचार, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और लोकतांत्रिक सहभागिता की भी आवश्यकता होगी। इन सभी क्षेत्रों में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी अनिवार्य है। राष्ट्रीय सम्मान इसी विश्वास को पुष्ट करते हैं कि राष्ट्र तभी आगे बढ़ता है जब वह अपने नागरिकों की प्रतिभा को पहचानता है, उसका सम्मान करता है और उसे प्रेरणा का स्रोत बनाता है।

किसी लोकतंत्र की परिपक्वता इस बात से नहीं आँकी जाती कि वह कितने पुरस्कार देता है, बल्कि इस बात से कि वह पुरस्कार किस आधार पर देता है। जब सम्मान जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और सामाजिक पृष्ठभूमि की सीमाओं से ऊपर उठकर केवल ज्ञान, सेवा, सृजन और जनकल्याण को मान्यता देता है, तभी वह लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है। भारत के राष्ट्रीय सम्मान इसी आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति विविधता नहीं, बल्कि उस विविधता को साझा राष्ट्रीय उद्देश्य में बदलने की क्षमता है। और यही वह आदर्श है, जो विकसित भारत की सबसे मजबूत लोकतांत्रिक नींव बन सकता है।

ब्रिक्स देशों में पोषण संवर्धन के लिए खाद्य भंडार

डॉ. स्वाति नायक

जलवायु से जुड़ी चुनौतियों और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान अक्सर वैश्विक खाद्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जिससे ब्रिक्स समूह को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य भंडारों, जिन्हें अक्सर आपातकालीन स्टॉक के रूप में देखा जाता है, को अब पोषण सुदृढ़ता, स्थिरता और तेज़ी से बदलती बाजार और सामाजिक प्रणालियों के हिसाब से नए सिरे से व्यवस्थित करने की ज़रूरत है।

हालांकि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए रणनीतिक भंडार बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी सवाल यह है कि जलवायु और व्यापार की अनिश्चितताओं के साथ-साथ भूख और कुपोषण की लगातार मौजूद समस्याओं के जवाब में किस तरह के भंडार निर्मित किये जाने चाहिए। विश्व बैंक-एफएओ-डब्ल्यूएफपी रिपोर्ट (2025)-खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए रणनीतिक अनाज भंडार को मजबूत करना-में बताया गया है कि 2024 में 74 देशों में 343 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे। यह संख्या कोविड-19 महामारी से पहले के सालों में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या से लगभग दोगुनी है। बहु-स्तरीय आर्थिक उथल-पुथल से व्यापार में व्यवधान हुए हैं और भूख में वृद्धि हुई है, इन सभी ने खाद्य सुरक्षा के लिए नए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

2026 में हालात और भी खराब हो गए। विश्व बैंक के अनुसार, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए तेल और उर्वरक का परिवहन प्रभावित हुआ है, जो वैश्विक कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। फरवरी से मार्च 2026 के बीच उर्वरकों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई, जिसमें यूरिया की कीमत एक ही महीने में लगभग 46 प्रतिशत बढ़ गई। विश्व खाद्य कार्यक्रम के पूर्वानुमानों के अनुसार, लगातार व्यवधान के कारण 45 मिलियन तक लोग भुखमरी की स्थिति में पहुंच सकते हैं।

यह ब्रिक्स देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनमें से अधिकांश देश प्रमुख कृषि उत्पादक/आयातक और उर्वरक के उपभोक्ता दोनों हैं।

हालांकि, खाद्य भंडारों के बारे में पारंपरिक सोच अब पुरानी पड़ती जा रही है। पारंपरिक रूप से, खाद्य भंडार बनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से कीमतों को स्थिर रखना या अस्थायी कमी से निपटना था। दूसरी ओर, आधुनिक समस्या अधिक जटिल है और इसके लिए ऐसे उपायों की जरूरत है जो न सिर्फ पर्याप्त कैलोरी की गारंटी दें, बल्कि खाद्य के पोषण संतुलित होने, किफायती होने और व्यवधानों के बीच लगातार उपलब्ध होने की भी गारंटी दें। यूरोपीय आयोग की संश्लेषण रिपोर्ट ''विकासशील देशों में खाद्य और पोषण सुरक्षा बढ़ाने के लिए खाद्य भंडार का उपयोग'' के अनुसार, खाद्य और पोषण सुरक्षा, अनाज की भौतिक उपलब्धता से कहीं अधिक है।

ब्रिक्स देशों के संदर्भ में यह परिवर्तन और भी महत्वपूर्ण बन गया है, जहां भरपूर खाद्य संसाधन होने के बावजूद भी खाद्य संकट बरकरार है। उदाहरण के तौर पर, भारत ने 2024 से 2025 की अवधि में रिक र्ड 353.96 मिलियन टन अनाज का उत्पादन किया है, साथ ही दुनिया के सबसे बड़े खाद्य नेटवर्क में से एक को बनाए रखा है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा ''फसल से घर तक: अनाज भंडारण के लिए सुदृढ़ अवसंरचना का निर्माण'' विषय पर 2025 में जारी एक पृष्ठभूमि विज्ञप्ति में इस तथ्य का उल्लेख किया गया था।

भारत में उभरती हुई भंडार प्रणालियां यह दिखाती हैं कि भंडार केवल जमा किए गए अनाज से कहीं ज्यादा सक्रिय पोषण प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक भंडारण, डिजिटलीकरण, विकेंद्रीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ाव की प्रक्रिया प्रमुख अनाज - चावल और गेहूं- के साथ-साथ दालों, मोटे अनाजों और पोषण वर्धित खाद्य पदार्थों की जैविक पोषण वर्धित किस्मों को शामिल करके भंडार में विविधता लाने का मौका देती है।

यह और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत दुनिया के पोषण परि श्य में फसल विविधीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

इसी तरह, चीन भी अपने भंडारों को लेकर अपनी रणनीति को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसे दृष्टिकोण के तहत, जो उसके खाद्य प्रणाली में सुदृढ़ता को ध्यान में रखता है। चावल, गेहूं और मक्का का भारी स्टॉक जमा करने के साथ-साथ, बीजिंग अब स्मार्ट भंडारण, एआई-समर्थित खाद्य निगरानी, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और देसी बीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अब खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में पोषण के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान है, ताकि फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और विविध आहार प्राप्त किए जा सकें।

रूस ने जो रास्ता अपनाया है, वह भंडार नीति के एक और पहलू का उदाहरण पेश करती है। यह भू-राजनीतिक सुदृढ़ता है। रूस ने खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच स्पष्ट संबंध बनाए हैं, अपने भंडार बढ़ाए हैं, कृषि क्षेत्र के लिए घरेलू उत्पादन पर ध्यान दिया है तथा पश्चिम एशिया और अफ्रीका में अनाज निर्यात और उर्वरकों का भू-राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग किया है। एक ऐसी दुनिया में जहां प्रतिबंध, अलग-अलग व्यापारिक संबंध और निर्यात नियंत्रण आम होते जा रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात है।

एक और उदाहरण मौजूद है जो अपने आप में बहुत अहम है- दक्षिण अफ्रीका। संपूर्ण खाद्य उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय, दक्षिण अफ्रीका की समस्याओं को अनाज की किफायती कीमत और पोषण तक पहुंच की कमी के रूप में देखा जा सकता है। इस मामले में, सरकार का ध्यान पोषण-संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा, स्कूलों में खाना खिलाने की योजनाओं, सरकारी खरीद और सामुदायिक खाद्य प्रणालियों मौसम के असर से सुरक्षित बनाने पर जाता है। ऐसी स्थिति में, भंडार अधिकतर व्यापक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के साधन के बजाय पोषण कार्यक्रमों को लागू करने का एक उपकरण बन जाते हैं।

इसके अलावा, विश्व बैंक-एफएओ-डब्ल्यूएफपी रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि रणनीतिक भंडार तब सबसे प्रभावी होते हैं, जब वे ''छोटे, सरल और स्मार्ट'' होते हैं और बाज़ार प्रबंधन के बजाय अधिकतर आपातकालीन प्रतिक्रिया पर केंद्रित होते हैं। इसी तरह, यूरोपीय आयोग की रिपोर्ट बताती है कि भंडार का स्तर तो मायने रखता ही है, लेकिन असल में शासन ही यह तय करती है कि भंडार खाद्य सुरक्षा नीति के लक्ष्यों में मदद करेंगे या उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे।

यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रभाव 'ब्रिक्स देश अपनी खाद्य सुरक्षा स्थिति में सुधार करने के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं' पर पड़ता है। कई देशों के साझा भंडार निर्मित करने के बजाय, जिन्हें बनाना राजनीतिक रूप से मुश्किल और लॉजिस्टिक्स के लिहाज़ से असंभव है, ब्रिक्स के लिए एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय तालमेल प्रणाली का निर्माण बेहतर हो सकता है, जो डेटा आदान-प्रदान, समन्वित इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, शुरुआती चेतावनी प्रणाली, सरकारी खरीद मानक नियम और भंडारण अवसंरचना को बेहतर बनाने पर केंद्रित हो।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भंडार के भविष्य को पोषण संबंधी विविधता से जोड़ा जाना चाहिए। मुख्य रूप से चावल और गेहूं पर आधारित भंडार छिपी हुई भूख और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के बढ़ते खतरे का सामना नहीं कर पाएंगे। स्वस्थ/पोषक तत्वों से भरपूर चावल और गेहूं, जैसे जैविक पोषण वर्धित चावल/गेहूं, दालें, मोटे अनाज और पोषण वर्धित अनाज जैसी चीज़ों का एक विविध मिश्रण सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। इससे ब्रिक्स देशों के लिए अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ना संभव होगा।

भंडारों की योजना बनाते समय जलवायु के हिसाब से सुदृढ़ता सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है। बाढ़, सूखा, चक्रवात और लू जैसी घटनाओं के बार-बार होने के कारण, यह सुनिश्चित करना ज़रूरी हो गया है कि इन आपदाओं का असर उत्पादन और भंडारण, दोनों प्रक्रियाओं पर एक साथ न पड़े। इस संदर्भ में, आधुनिक भंडारों के लिए सिर्फ पारंपरिक भंडारों में निवेश करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कोल्ड चेन, अलग-अलग जगहों पर बनी भंडारण सुविधाओं, आई-ओ-टी सक्षम निगरानी प्रणालियों और नमी नियंत्रण प्रणालियों में भी निवेश करना जरूरी हो गया है।

दुनिया की खाद्य भंडारण नीति को बदलने में मदद करने के लिए ब्रिक्स देश सबसे अच्छी स्थिति में हैं। सामूहिक रूप से, वे दुनिया के अनाज उत्पादन, उर्वरक उपयोग, कृषि व्यापार और जोखिम में रहने वाले समुदायों के मामले में में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सही योजना के साथ, उनकी भंडारण सुविधाओं को केवल आपातकालीन व्यवस्था के स्थान पर सुरक्षित पोषण, मौसम में बदलाव का सामना करने और भू-राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने वाली प्रणाली में बदला जा सकता है।

भविष्य के खाद्य भंडार की सफलता केवल उनके भंडारण सुविधा में रखे अनाज की मात्र पर निर्भर नहीं करेगी। इसके बजाय, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे संकट के समय समाज को स्थिर रखने में कितनी मदद कर सकते हैं, गरीब लोगों के लिए अच्छे पोषण के परिणाम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, क्षेत्रीय खाद्य उत्पादन प्रणाली को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कमजोर वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को किस प्रकार कम कर सकते हैं। इसलिए, ब्रिक्स देशों के लिए खाद्य भंडार का सवाल यह नहीं होना चाहिए कि अधिक भोजन कैसे पैदा करें, बल्कि यह होना चाहिए कि स्मार्ट, पोषण-केंद्रित भंडार कैसे बनाए जाएं।

(लेखिका सीड सिस्टम्स और प्रोडक्ट मैनेजमेंट की दक्षिण एशिया प्रमुख तथा इंडिया कंट्री मैनेजर (अंतरिम) हैं
नॉर्मन बॉरलॉग फील्ड पुरस्कार विजेता (विश्व खाद्य पुरस्कार) 2023, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान।)

ओडीएफ से सतत स्वच्छता की ओर:ग्रामीण स्वच्छता का नया अध्याय लिख रहा हिमाचल प्रदेश

नवाचार आधारित समाधान प्रशस्त कर रहे विकास की नई राह

7,000 से अधिक गांवों को मिला वैज्ञानिक स्वच्छता प्रबंधन का लाभ

खुले में शौच मुक्त होना स्वस्थ, स्वच्छ और सम्मानजनक समाज की आधारशिला है। स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए हिमाचल प्रदेश पहले ही खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है।अब राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है कि स्वच्छता के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां दीर्घकाल तक कायम रहें और उन्हें वैज्ञानिक तथा पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि राज्य में वैज्ञानिक फीकल स्लज मैनेजमेंट (एफएसएम) पहल को व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है। यह महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रदेश के लगभग 7,000 गांवों को लाभान्वित करेगा तथा सेप्टिक टैंकों और एकल ग्र्रा शौचालयों से निकलने वाले मल अपशिष्ट का सुरक्षित संग्रहण, परिवहन, उपचार और निस्तारण सुनिश्चित करेगा।

पिछले वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने में हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। अधिकांश ग्रामीण परिवारों तक शौचालय सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। हालांकि, स्वच्छता केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं है। समय-समय पर सेप्टिक टैंकों और ग्र्रो की सफाई तथा उनमें जमा होने वाले फीकल स्लज का सुरक्षित प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है।

यदि इस अपशिष्ट का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण न किया जाए तो यह जल स्रोतों, कृषि भूमि और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को प्रदूषित कर सकता है। इससे डायरिया, हैजा और टायफाइड जैसी जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ने के साथ-साथ पेयजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है।

पर्वतीय प्रदेश हिमाचल में प्राकृतिक जल स्रोतों, झरनों, खड्डों और नदियों का संरक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग और जल शक्ति विभाग के माध्यम से एक अभिनव एवं व्यवहारिक मॉडल अपनाया है।

राज्य सरकार ने अलग-अलग फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के बजाय सह-उपचार (को-ट्रीटमेंट) मॉडल को अपनाया है। इस मॉडल के अंतर्गत मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) का उपयोग फीकल स्लज के वैज्ञानिक उपचार के लिए किया जाएगा।

यह व्यवस्था हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, जहां सीमित भूमि, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां और व्यापक वन क्षेत्र बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। मौजूदा सुविधाओं का उपयोग करके राज्य सरकार संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर रही है, जिससे लागत में कमी आने के साथ पर्यावरणीय प्रभाव भी न्यूनतम होगा।

को-ट्रीटमेंट मॉडल के अंतर्गत चयनित एसटीपी में आवश्यक आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्रित फीकल स्लज का वैज्ञानिक उपचार नगरों के सीवेज के साथ किया जाएगा। इससे अलग उपचार संयंत्रों की आवश्यकता नहीं होगी और अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित होगा। परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर एक अनुमोदन समिति का गठन किया गया है, जो उपचार क्षमता, अपशिष्ट उत्पादन के अनुमान और तकनीकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के बाद परियोजनाओं को स्वीकृत करेगी। अब तक प्रदेश में 30 को-ट्रीटमेंट परियोजनाओं को मंज़ूरी दी जा चुकी है।

राज्य सरकार ने इस महत्त्वाकांक्षी पहल के लिए जल शक्ति विभाग को लगभग 15 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। ग्रामीण विकास विभाग और जल शक्ति विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) ने विभागीय समन्वय को और मजबूत बनाया है तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई है।

पालमपुर और सुंदरनगर में मौजूदा एसटीपी के साथ को-ट्रीटमेंट सुविधाओं के निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को इसका लाभ मिलना भी प्रारंभ हो गया है। यह दर्शाता है कि सरकार की योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से साकार हो रही हैं। यह पहल हिमाचल प्रदेश की स्वच्छता यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। अब ध्यान केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण स्वच्छता श्रृंखला के सुरक्षित और सतत प्रबंधन पर केंद्रित किया जा रहा है। इससे ओडीएफ उपलब्धि को स्थायी बनाए रखने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य को भी नई मजबूती मिलेगी।

राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2027 तक सभी स्वीकृत को-ट्रीटमेंट परियोजनाओं को संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनके पूर्ण होने के बाद हजारों गांवों को वैज्ञानिक फीकल स्लज प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे जल स्रोतों का संरक्षण, ग्रामीण स्वच्छता में सुधार और पर्यावरणीय संतुलन को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।

ओडीएफ उपलब्धि से आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश अब सतत स्वच्छता प्रबंधन की दिशा में एक नया मानक स्थापित कर रहा है। यह पहल न केवल ग्रामीण स्वच्छता की एक महत्त्वपूर्ण कमी को दूर करेगी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नवाचार आधारित समाधान किस प्रकार विकास की नई राह प्रशस्त कर सकते हैं।

स्वच्छता के क्षेत्र में यह परिवर्तनकारी पहल एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल हिमाचल प्रदेश के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच और प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है।

हिमाचल में लागू होगी सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति, हर बड़ी सड़क परियोजना की होगी सुरक्षा जांच

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में और कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू करने का फैसला किया है। इस नीति के तहत लोक निर्माण विभाग (P W D) की सड़कों का निर्माण शुरू होने से लेकर पूरा होने तक अलग-अलग चरणों में सुरक्षा जांच की जाएगी, ताकि सड़क निर्माण में किसी भी तरह की कमी समय रहते दूर की जा सके।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर है और हर सड़क परियोजना में लोगों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षित सड़कें लोगों की जान बचाने के साथ-साथ बेहतर यातायात और आर्थिक विकास में भी मदद करती हैं।

नई नीति के अनुसार किसी भी सड़क परियोजना का पांच चरणों में सुरक्षा ऑडिट होगा। इसमें योजना बनाने का चरण, डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट), निर्माण के दौरान, सड़क को यातायात के लिए खोलने से पहले और पहले से बनी सड़कों की समय-समय पर जांच शामिल है।

ऑडिट के दौरान सड़क की डिजाइन, तीखे मोड़, चौराहे, सड़क संकेतक, रोड मार्किंग, स्ट्रीट लाइट, पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुविधाओं के साथ-साथ सुरक्षा बैरियर और यातायात व्यवस्था की भी जांच की जाएगी।

सरकार ने तय किया है कि यह ऑडिट केवल भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) से प्रमाणित रोड सेफ्टी ऑडिटर या ऐसे प्रशिक्षित विभागीय अधिकारी करेंगे, जिन्हें सड़क सुरक्षा ऑडिट का विशेष प्रशिक्षण मिला हो और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। साथ ही ऑडिटर का संबंधित परियोजना से कोई सीधा संबंध नहीं होगा, ताकि जांच निष्पक्ष रहे।

नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में रोड सेफ्टी सेल बनाया जाएगा। यह सेल ऑडिट की निगरानी करेगा, योग्य ऑडिटरों का पैनल तैयार करेगा, रिपोर्टों की समीक्षा करेगा और अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

नई व्यवस्था के तहत एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली हर सड़क परियोजना में परियोजना लागत का एक प्रतिशत सड़क सुरक्षा ऑडिट पर खर्च करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सड़क निर्माण में भारतीय सड़क कांग्रेस के सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना भी जरूरी होगा।

सरकार ने बताया कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का असर भी दिखाई दिया है। वर्ष 2023 में हिमाचल में 2,253 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर 2,107 रह गई। यानी दुर्घटनाओं में 6.48 प्रतिशत की कमी आई है।

इसी तरह सड़क हादसों में मौतों की संख्या 892 से घटकर 806 हो गई, जबकि घायलों की संख्या 3,449 से घटकर 3,290 रह गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हिमाचल में ऐसी सड़कें बनाना है जो आधुनिक होने के साथ-साथ पूरी तरह सुरक्षित भी हों, ताकि भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं में और कमी लाई जा सके।

हिमाचल के टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत अब 15 साल तक चल सकेंगे एआईटीपी वाहन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी) टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत मिली है। अब एआईटीपी वाहनों की परिचालन अवधि 12 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी गई है। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के लगातार प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने नियमों में संशोधन किया है।

उन्होंने बताया कि हिमाचल जैसे पर्यटन राज्य में हजारों परिवार टैक्सी संचालन पर निर्भर हैं। टैक्सी संचालक लंबे समय से वाहनों की परिचालन अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस मांग को प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाया, जिसके बाद नियमों में बदलाव किया गया।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद प्रदेश परिवहन विभाग ने भी आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही नई व्यवस्था को लागू करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी अधिसूचित कर दी गई है।

नई व्यवस्था के तहत जिन एआईटीपी वाहनों की पंजीकरण अवधि 15 वर्ष से कम है, वे निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए वाहन मालिकों के पास वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र और सभी सरकारी शुल्क जमा होने चाहिए।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस फैसले से टैक्सी ऑपरेटरों का आर्थिक बोझ कम होगा, उनका रोजगार मजबूत होगा और प्रदेश के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी फैसले लेती रहेगी।

बोह आपदा में बेघर परिवारों को 8.50 लाख की सहायता:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यो का जायजा लिया। उन्होंने राहत शिविर में रह रहे प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हरसंभव सहायता का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिन परिवारों के घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें मकान निर्माण के लिए 7.50 लाख रुपये और घरेलू सामान, कपड़े व बर्तन खरीदने के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। जिन परिवारों के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें सरकार आवश्यकतानुसार सरकारी भूमि उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने बताया कि आपदा में गाय या भैंस की मृत्यु होने पर 55 हजार रुपये प्रति पशु और बकरी की मृत्यु पर 15 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपये तथा नुकसान के आधार पर दुकानों के लिए 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की राहत दी जाएगी। फसल नुकसान पर किसानों को 5 हजार रुपये प्रति कनाल मुआवजा मिलेगा। किराये के मकान में रहने वाले प्रभावित परिवारों को 5 हजार रुपये प्रतिमाह किराया और छह माह का मुफ्त राशन भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत के रूप में 25 परिवारों को 25-25 हजार रुपये और 16 अन्य परिवारों को 10-10 हजार रुपये जारी किए जा चुके हैं। अब तक 13 राजस्व प्रमाण-पत्र तैयार किए गए हैं और अन्य जरूरी दस्तावेज दोबारा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।उन्होंने कहा कि इस आपदा से घुड़घुं, भंगार और सपेड़ा गांवों के 25 परिवार प्रभावित हुए हैं, जबकि सपेड़ा के 13 मकानों को डेंजर जोन घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राहत कार्यो के साथ-साथ करीब 3,500 करोड़ रुपये की लागत से आपदा-रोधी आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है, ताकि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

आईएफआई-2026 में हिमाचल को पर्वतीय राज्यों में तीसरा स्थान

शिमला/शैल। नीति आयोग द्वारा जारी इन्वेस्टमेंट फेंडलीनेस इंडेक्स (आईएफआई)-2026 में हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने पर्वतीय एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और फंटरनर श्रेणी में अपनी जगह बनाई है। यह रैंकिंग निवेशकों के लिए बेहतर कारोबारी माहौल तैयार करने और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में राज्य के प्रदर्शन को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यापार में सुगमता बढ़ाने और निवेशकों के लिए पारदर्शी एवं प्रभावी व्यवस्था विकसित करने पर लगातार काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न सुधारों और बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के सकारात्मक परिणाम अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। उनके अनुसार यह रैंकिंग राज्य में सतत औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में मजबूत आधार तैयार करेगी।

रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश ने अवसंरचना (इन्फास्ट्रक्चर) और संसाधन (रिसोर्सेज) श्रेणी में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य ने डिजिटल कनेक्टिविटी, बिजली व्यवस्था, औद्योगिक सुविधाओं, लॉजिस्टिक्स, मानव संसाधन और महिलाओं की कार्यबल में उच्च भागीदारी जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके अलावा नियामकीय सुगमता में हिमाचल चौथे और व्यावसायिक वातावरण में पांचवें स्थान पर रहा। रिपोर्ट में प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली, कम साइबर अपराध दर और निवेशकों के लिए अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था को भी राज्य की प्रमुख ताकत बताया गया है।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश सरकार की निवेश बढ़ाने और औद्योगिक विकास को गति देने की नीतियों की पुष्टि करती है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में भी नए उद्योग स्थापित करने, निजी निवेश आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम करती रहेगी।

उद्योग विभाग की प्रधान सचिव एम. सुधा देवी ने बताया कि हिमाचल को निर्माण अनुमति, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र सुधारों के लिए टॉप अचीवर्स श्रेणी में भी स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य की सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से वर्तमान में 30 विभागों की 180 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे निवेशकों को समयबद्ध और सरल सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी सुधारों की यह प्रक्रिया जारी रहेगी और हिमाचल निवेश के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद राज्य के रूप में अपनी पहचान और मजबूत करेगा।

नेरी में बायोचार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र शुरू जलवायु और कृषि अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नेरी में अत्याधुनिक बायोचार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र सतत बायोमास प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन से निपटने, कार्बन संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य पर अनुसंधान को बढ़ावा देगा।

केंद्र की स्थापना विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश वन विभाग और प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत की गई है। इसका उद्देश्य वन बायोमास का वैज्ञानिक उपयोग कर जंगलों में आग के खतरे को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।

भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने 1.5 टन प्रतिदिन क्षमता वाली बायोचार उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सुशील कुमार सिंगला, वन विभाग के अधिकारी, आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ और विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी मौजूद रहे।

बायोचार एक कार्बन-समृद्ध पदार्थ है, जिसे चीड़ की पत्तियां, लैंटाना, बांस और अन्य वन अवशेषों से तैयार किया जाएगा। इसका उपयोग कृषि और बागवानी में मृदा की उर्वरता बढ़ाने, जल धारण क्षमता सुधारने और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाएगा।

यह केंद्र विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी देगा। साथ ही, बायोमास संग्रहण और प्रसंस्करण के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में जलवायु-अनुकूल कृषि और कार्बन ऑफसेट तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को राहत, इंटर्नशिप होगी एक साल

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विदेश से एमबीबीएस करने वाले पात्र छात्रों की इंटर्नशिप अवधि दो साल की बजाय एक साल करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला उन छात्रों के लिए है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कोविड के कारण किसी भी योग्य छात्र को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सभी जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी कर आदेश जारी किए जाएं, ताकि छात्र बिना देरी के अपनी इंटर्नशिप शुरू या पूरी कर सकें।

इस फैसले से प्रभावित विदेशी चिकित्सा स्नातकों को बड़ी राहत मिलेगी और वे अपने चिकित्सा करियर को बिना अनावश्यक देरी के आगे बढ़ा सकेंगे।

कारगिल विजय दिवस: एआरटीआरएसी ने ऑपरेशन विजय के अमर वीरों को दी श्रद्धांजलि, शौर्य और बलिदान को किया नमन

शिमला/शैल। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान (एआरटीआरएसी) ने वर्ष 1999 के ऑपरेशन विजय में देश

की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अनाडेल स्थित श्रद्धांजलि स्थल पर आयोजित समारोह में सेना के अधिकारियों और जवानों ने शहीदों के अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया।

समारोह में सेना प्रशिक्षण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग- इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा (पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम) ने शहीदों की स्मृति में पुष्पचक्र अर्पित किया। इस अवसर पर बिगुल की धुन पर लास्ट पोस्ट बजाई गई और दो मिनट का मौन रखकर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई।

अपने संबोधन में लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर भारतीय सैनिकों ने जिस साहस, संकल्प और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया, वह भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कारगिल के वीरों का शौर्य आज भी सैनिकों और देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है तथा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के संकल्प को और मजबूत करता है।

कार्यक्रम के दौरान सेना कमांडर ने अनाडेल स्थित आर्मी हेरिटेज म्यूजियम का भी दौरा किया। उन्होंने संग्रहालय में संरक्षित सैन्य धरोहर, युद्ध स्मृतिचिह्नों और ऐतिहासिक अभिलेखों का अवलोकन किया तथा इनके संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास और वीर सैनिकों के बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

समारोह के अंत में मुख्यालय एआरटीआरएसी के सभी अधिकारियों और जवानों ने राष्ट्रभक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा के सर्वोच्च आदर्शों का पालन करने की सामूहिक शपथ ली। उन्होंने संकल्प लिया कि कारगिल के अमर वीरों का बलिदान सदैव देशवासियों की स्मृतियों में जीवित रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।

लाहौल-स्पीति सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत

मुख्यमंत्री और जनजातीय विकास मंत्री ने जताया शोक

शिमला/शैल। लाहौल-स्पीति जिले के करूनाला में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार सभी यात्री कुल्लू से पांगी जा रहे थे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उपायुक्त लाहौल-स्पीति को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता और घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए दिवंगतों की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना बेहद दुखद है और इस कठिन समय में प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने भी घायलों के जल्द स्वस्थ होने तथा दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

हिमाचल में युवाओं के लिए बढ़ेंगे अप्रेंटिसशिप के अवसर, उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य अप्रेंटिसशिप काउंसिल की बैठक सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर चर्चा हुई।

बैठक की अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव एवं राज्य अप्रेंटिसशिप काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. अभिषेक जैन ने की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में अप्रेंटिसशिप के अवसर और प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। साथ ही युवाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को कहा।

उन्होंने निजी उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने और अधिक से अधिक संस्थानों को राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण करने पर भी जोर दिया, ताकि युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण और रोजगार के ज्यादा अवसर मिल सकें।

बैठक में बताया गया कि जुलाई 2026 तक प्रदेश में 156 अप्रेंटिसशिप मेलों का आयोजन किया जा चुका है। इसके अलावा केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार अब हर महीने नियमित रूप से अप्रेंटिसशिप मेले आयोजित किए जा रहे हैं।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में तकनीकी शिक्षा विभाग के विभिन्न संस्थानों में 98 प्रशिक्षु अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण ले रहे हैं। बैठक में भविष्य में अधिक से अधिक युवाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने और सरकारी विभागों में अप्रेंटिसों के स्टाइपेंड के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई।

बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और प्रदेश में अप्रेंटिसशिप को कौशल विकास और रोजगार सृजन का मजबूत माध्यम बनाने पर सहमति जताई।

जुलाई में करुणामूलक आधार पर 94 लोगों को मिली सरकारी नौकरी, लंबित मामलों की भी होगी समीक्षा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने करुणामूलक रोजगार नीति के तहत जुलाई 2026 में 94 ग्रुप-सी कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति दी है। ये नियुक्तियां निदेशालय भर्ती, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से की गई हैं। सरकार का कहना है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को समय पर रोजगार उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है।

इन नियुक्तियों में जल शक्ति, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह और बागवानी विभाग शामिल हैं। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि करुणामूलक नियुक्ति के पात्र मामलों को प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाए, ताकि योग्य परिवारों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।

सरकार की इस पहल से वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे कई परिवारों को राहत मिली है। ऊना जिले के अक्षय कुमार ने बताया कि उनके पिता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में ऑपरेटर थे और वर्ष 2018 में उनके निधन के बाद उन्होंने उसी साल करुणामूलक नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। उनका मामला चार साल तक लंबित रहा, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रक्रिया आगे बढ़ी। फरवरी 2026 में चयन की सूचना मिली, मार्च में टाइपिंग परीक्षा हुई और जुलाई में उन्हें नियुक्ति पत्र मिल गया।

शिमला जिले के कोटखाई की शालू चौहान ने बताया कि उनके पिता जल शक्ति विभाग में पंप अ परेटर थे और 2013 में उनका निधन हो गया था। उन्होंने कहा कि कई वर्षों तक उनका मामला लंबित रहा, लेकिन इस वर्ष उन्हें नियुक्ति मिल गई।

इसी तरह कांगड़ा की आकांक्षा कपूर, सिरमौर के लोकेश चौहान और हमीरपुर की शिवानी कुमारी ने भी करुणामूलक आधार पर नौकरी मिलने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। इन सभी का कहना है कि लंबे समय से लंबित मामलों का निपटारा होने से उनके परिवारों को आर्थिक सहारा मिला है।

राज्य सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि पूर्व में विभिन्न कारणों से अस्वीकृत करुणामूलक नियुक्ति के मामलों की दोबारा समीक्षा की जाएगी। एक विशेष अभियान के तहत पात्र और वास्तविक मामलों की जांच कर आवश्यक होने पर नीति के अनुसार छूट देने पर विचार किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य करुणामूलक रोजगार नीति का लाभ सभी पात्र परिवारों तक निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है, ताकि दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता और रोजगार मिल सके।

जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाएं:डॉ.अभिषेक जैन

शिमला/शैल। प्रधान सचिव (जल शक्ति) डॉ. अभिषेक जैन ने अधिकारियों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि 'जल संचय जन भागीदारी: कैच द रेन-2026 अभियान में पंचायतों, शहरी निकायों, स्कूलों, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों, युवा क्लबों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने पारंपरिक जल स्रोतों जैसे बावड़ियों, कुहलों, खात्रियों और पोखरों के संरक्षण और पुनर्जीवन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जल संरक्षण से जुड़े सभी कार्यों की जियो-टैगिंग और पोर्टल पर समय पर अपलोडिंग की जाए, ताकि उनकी प्रभावी निगरानी हो सके।

बैठक में 4 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक चल रहे कैच द रेन-2026 अभियान की प्रगति की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय कर जल संरक्षण कार्यों को तेज करने और हर जिले में वर्षा जल संग्रहण व भूजल पुनर्भरण के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

क्लोज सीजन में मछुआरों को मिलेगा आर्थिक सहारा, हिमाचल सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जलाशयों में मछली पकड़ने पर लगने वाली वार्षिक प्रतिबंध अवधि (क्लोज सीजन) के दौरान मछुआरों की आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र मछुआरों को हर वर्ष 3,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि प्रतिबंध अवधि में उनकी आजीविका प्रभावित न हो और परिवारों को आर्थिक संबल मिल सके।

राज्य सरकार का कहना है कि हर साल मत्स्य संरक्षण और मछलियों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए कुछ समय के लिए मछली पकड़ने पर रोक लगाई जाती है। इस दौरान जलाशयों पर निर्भर मछुआरों की आय पूरी तरह बंद हो जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए यह योजना लागू की गई है।

योजना का लाभ केवल पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों से जुड़े सक्रिय मछुआरों को मिलेगा, जिनके पास वैध मत्स्य आखेट लाइसेंस होगा। आवेदन संबंधित सहकारी समिति के माध्यम से करना होगा। इसके साथ वैध लाइसेंस, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति, एनएफडीपी पंजीकरण संख्या और समिति की सदस्यता प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन की जांच मत्स्य विभाग और सहकारी समिति के अधिकारी करेंगे तथा जिला स्तर पर उपनिदेशक या सहायक निदेशक मत्स्य अंतिम स्वीकृति देंगे। स्वीकृत राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

इस योजना से गोबिंद सागर, पौंग बांध, कोल बांध, चमेरा और रंजीत सागर जलाशयों से जुड़े करीब 3,700 मछुआरा परिवारों को हर साल लाभ मिलने की संभावना है। योजना के संचालन पर राज्य सरकार लगभग 1.20 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च करेगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और मछुआरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रतिबंध अवधि के दौरान मछुआरों को आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। साथ ही सरकार मत्स्य क्षेत्र को मजबूत करने, मछुआरों की आय बढ़ाने और जलीय संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई पहल कर रही है। उनके अनुसार, यह योजना दूरदराज और आर्थिक रूप से कमजोर मछुआरा परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

नौणी विश्वविद्यालय ने सेब बागवानों को रोग प्रबंधन के लिए जारी की सलाह

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के वैज्ञानिकों ने पिछले दो सप्ताह में प्रदेश के प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों का दौरा कर बागानों का निरीक्षण किया और बागवानों को रोगों के वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी दी।

निरीक्षण के दौरान कई बागानों में अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट और मार्सोनिना लीफ ब्लॉच का हल्का प्रकोप पाया गया। वैज्ञानिकों ने बागवानों को समय पर रोगों की पहचान, बगीचों की सफाई, संतुलित उर्वरक उपयोग और विश्वविद्यालय द्वारा सुझाई गई फफूंदनाशी दवाओं का सही तरीके से छिड़काव करने की सलाह दी।

वैज्ञानिकों ने पाया कि कई किसान मिट्टी और पत्तियों की जांच नहीं करवा रहे हैं और बिना तकनीकी सलाह के कीटनाशकों व पोषक तत्वों का मिश्रण कर रहे हैं, जिससे दवाओं का असर कम हो रहा है।

विश्वविद्यालय ने किसानों से केवल अधिकृत विक्रेताओं से दवाएं खरीदने, वैज्ञानिक सलाह के अनुसार स्प्रे करने और किसी भी रोग की स्थिति में विशेषज्ञों से संपर्क करने की अपील की है। किसानों को जरूरत पड़ने पर रोग के फोटो और जानकारी hodmpp@uhf.ac.in पर भेजकर विशेषज्ञों से सलाह लेने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

हिमाचल के धार्मिक और धरोहर स्थलों को केंद्र से नहीं मिला प्रसाद योजना का लाभ

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर स्थलों के विकास को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षण में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व के 40 प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल हैं। इनमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, लाहौल-स्पीति, हमीरपुर और सिरमौर जिलों के कई प्रसिद्ध मंदिर, किले, मठ और ऐतिहासिक भवन शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत देशभर में धार्मिक और विरासत स्थलों के विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत तीर्थ स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना, श्रद्धालुओं की सुविधाएं और अन्य विकास कार्य किए जाते हैं। हालांकि, सरकार ने स्वीकार किया कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए इस योजना के तहत एक भी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई। इसका मतलब है कि राज्य के किसी भी धार्मिक या विरासत स्थल को प्रसाद योजना का लाभ नहीं मिला।

लोकसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार, हिमाचल के संरक्षित स्मारकों में संरक्षण, मरम्मत, जीर्णोद्धार, पर्यावरण विकास, आगंतुक सुविधाओं का निर्माण, पैदल मार्ग, सूचना संकेतक (साइनज) और अन्य रखरखाव कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नियमित रूप से किए जाते हैं। ये कार्य राष्ट्रीय संरक्षण नीति-2014 के तहत आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किए जाते हैं। सरकार ने बताया कि स्मारकों के संरक्षण के लिए कोई अलग परियोजना आधारित समय-सीमा निर्धारित नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2019-20 से 16 जुलाई 2026 तक हिमाचल प्रदेश के संरक्षित स्मारकों के संरक्षण एवं रखरखाव पर हुए खर्च का भी ब्यौरा दिया है। वर्ष 2019-20 में 2.15 करोड रूपये, 2020-21 में 1.25 करोड़ रूपये, 2021-22 में 1.15 करोड़ रूपये, 2022-23 में 8.90 करोड़ रूपये, 2023-24 में 5.00 करोड़ रूपये, 2024-25 में 2.79 करोड रूपये, 2025-26 में 2.10 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2026-27 में 16 जुलाई 2026 तक 0.87 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं। इनमें वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक व्यय दर्ज किया गया।

सरकार ने यह भी बताया कि एएसआई के अधिकारी समय-समय पर सभी संरक्षित स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का निरीक्षण करते हैं तथा उनकी स्थिति का आकलन कर वार्षिक संरक्षण कार्यों की योजना तैयार करते हैं। आवश्यकतानुसार स्मारकों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी, फेंसिंग और अन्य सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा, कई महत्वपूर्ण स्थलों पर नियमित सुरक्षा कर्मचारियों के साथ निजी सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई है ताकि ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

हालांकि, केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि हिमाचल प्रदेश के इन संरक्षित स्मारकों के लिए संरचनात्मक जोखिम मूल्यांकन (Structural Risk Assessment) और जलवायु संवेदनशीलता मानचित्रण (Climate Vulnerability Mapping) जैसा कोई विशेष अध्ययन अब तक नहीं कराया गया है। यह जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश भूकंप, भूस्खलन और अत्यधिक वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील राज्य है। हालांकि, सरकार के अनुसार एएसआई लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विश्व धरोहर दिवस, विश्व पर्यटन दिवस और विश्व धरोहर सप्ताह जैसे अवसरों पर हेरिटेज वॉक, व्याख्यान, प्रदर्शनियां, प्रतियोगिताएं, गाइडेड टूर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि स्थानीय समुदाय, युवा और पर्यटकों में विरासत संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

लोकसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के किसी भी नए स्मारक या पुरातात्विक स्थल को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। यानी फिलहाल एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में किसी नए स्थल को शामिल करने की योजना नहीं है।

सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार राज्य के 40 संरक्षित स्मारकों में चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह, मणिमहेश मंदिर, चंपावती मंदिर और चामुंडा देवी मंदिर, कांगड़ा का बैजनाथ मंदिर, मसरूर रॉक कट मंदिर, कांगड़ा किला और नूरपुर किला, कुल्लू का हिडिंबा देवी मंदिर और नाग्गर का गौरीशंकर मंदिर, लाहौल-स्पीति का विश्व प्रसिद्ध ताबो बौद्ध मठ और फू गुम्फा, मंडी के पंचवक्त्र मंदिर और त्रिलोकीनाथ मंदिर, शिमला का ऐतिहासिक वाइस रीगल लॉज (राष्ट्रपति निवास), हमीरपुर का नरबदेश्वर मंदिर तथा सिरमौर का शिव मंदिर सहित कई महत्वपूर्ण धरोहर स्थल शामिल हैं।

केंद्र ने हिमाचल में 11 दुर्घटना संभावित कॉरिडोर चिन्हित किए

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने पहली बार संसद में बड़ा खुलासा किया है। लोकसभा में शिमला से भाजपा सांसद सुरेश कश्यप के सवाल के जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण के बाद राज्य में 11 दुर्घटना संभावित कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं, जहां सड़क सुरक्षा सुधार के लिए विशेष इंजीनियरिंग उपाय किए जा रहे हैं।

संसद में दिए गए इस जवाब से स्पष्ट हुआ है कि हिमाचल के राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं अब केवल स्थानीय चिंता का विषय नहीं रह गई हैं, बल्कि केंद्र सरकार ने इन्हें वैज्ञानिक आधार पर चिन्हित कर सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार चिन्हित 11 दुर्घटना संभावित कॉरिडोर में सिरमौर जिले के तीन, बद्दी के दो, कांगड़ा के दो, जबकि मंडी, शिमला, ऊना और हंस क्षेत्र में एक-एक कॉरिडोर शामिल हैं। इन स्थानों की पहचान सड़क दुर्घटनाओं के डिजिटल डाटा, पुलिस रिपोर्ट और एआई आधारित विश्लेषण के आधार पर की गई है।

सरकार ने बताया कि इन ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित मार्गों पर तत्काल राहत के लिए क्रैश बैरियर, चेतावनी संकेतक, रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड, रोड स्टड, सड़क मार्किंग, अनधिकृत कट बंद करने और ट्रैफिक नियंत्रण जैसे अल्पकालिक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं स्थायी समाधान के तहत सड़क चौड़ीकरण, मोड़ों की ज्यामिति में सुधार, जंक्शन पुनर्निर्माण, अंडरपास और ओवरपास निर्माण जैसी परियोजनाएं भी लागू की जा रही हैं।

हालांकि सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि दीर्घकालिक परियोजनाओं की गति भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति और बिजली-पानी जैसी उपयोगिताओं के स्थानांतरण जैसी प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है, जिसके कारण इन्हें पूरा होने में समय लगता है।

लोकसभा में दिए गए जवाब में यह भी स्पष्ट किया गया कि दुर्घटना संभावित स्थलों के लिए अलग से कोई विशेष बजट नहीं बनाया जाता। इन सुधार कार्यों का खर्च राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जारी होने वाली राशि से ही किया जाता है।

सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में हिमाचल के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 3,998 करोड़ आवंटित किए गए, जिनमें 3,994 करोड़ खर्च हुए। वर्ष 2025-26 में 3,832 करोड़ में से 3,818 करोड़ व्यय किए गए। वहीं वर्ष 2026-27 में 30 जून तक 1,511 करोड़ आवंटित हुए, जिनमें 1,109 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। यह दर्शाता है कि सड़क अवसंरचना पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार अब सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए e-DAR प्रणाली का व्यापक उपयोग कर रही है। इसके माध्यम से दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों का विश्लेषण कर नए दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान की जाती है और उसके अनुरूप इंजीनियरिंग सुधार, सुरक्षा अवसंरचना तथा जागरूकता उपाय लागू किए जाते हैं।

सांसद सुरेश कश्यप ने इसे हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य के लिए महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वैज्ञानिक आधार पर किए जा रहे इन सुधारों से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यात्रियों की सुरक्षा पहले से बेहतर होगी।

संसद में केंद्र सरकार का यह जवाब इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पहली बार हिमाचल के दुर्घटना संभावित राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, उनके जिलावार विवरण और उन पर चल रहे सुधार कार्यों की स्थिति आधिकारिक रूप से सामने आई है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि भविष्य में सड़क सुरक्षा के लिए डेटा और AI आधारित नीति निर्माण को और अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।